



कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

आफिस - डाईट पारिसर जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
फोन नं.-07817-222295
ईमेल - cgtownplan.janjgir@gmail.com

Add-Dait Parisar Janjgir-Champa (C.G.)
Tel. - 07817-222295
Email- cgtownplan.janjgir@gmail.com

क्रमांक / 230 / अभि./न.ग्रा.नि./2015

जांजगीर- दिनांक 12/03/15

प्रति,

श्रीमति सविता देवी शर्मा
लिंग रोड़ जांजगीर
जिला- जांजगीर (छ.ग.)

विषय :- विकास अनुज्ञा बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 13/02/15


उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन पत्र में यथा वर्णित विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम - जांजगीर तह.-जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा स्थित भूमि खसरा क्र. 98/1, 98/3,100/4 का कुल रकबा 0.76 एकड़ भूमि पर व्यवसायिक प्रायोजनार्थ विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

- 1- (अ) छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत भू-व्यपवर्तन करना आवश्यक होगा।
(ब) छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी अनुमति प्राप्त करना पूर्णतः अनिवार्य होगी।
- 2- यह अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं अधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। भूमि स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद होने पर दी गई यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 3- प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई विकास योजना अनुसार 40 मी.रखी जाना आवश्यक होगी मार्ग मध्य से 20मी. भूमि छोड़ने पश्चात् भूखण्ड-रेखा मानी जावेगी। पहुच मार्ग संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद होने पर दी गई यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 4- छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में 1 वृक्ष की दर से वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा।
- 5- रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के प्रावधानों के तहत करना होगा।
- 6- प्रश्नाधीन स्थल पर विकास एवं निर्माण से पूर्व लोकनिर्माण विभाग से मार्ग की चौड़ाई के संबंध में स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। तत्पश्चात् स्थल पर निर्माण कार्य किया जावे।
- 7- विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार विकास शुल्क संबंधित विभाग में जमा करना आवश्यक होगा।
- 8- मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 9- शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25 प्रतिशत फलाई एश ब्रिक्स का प्रयोग किया जावे।
- 10- प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 11- प्रश्नाधीन क्षेत्र में विकास/निर्माण से किसी प्रकार की जनापत्ति होने पर दी गई अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

2- निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे।
उपरोक्त शर्तों अथवा किसी शर्त के उल्लंघन में दी गई उपरोक्त अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी

जावेगी।

संलग्न :- अभिन्यास की एक प्रति।


सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)


क्रमांक / 23 to 233 / अभि. / न.ग्रा.नि / 2015

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12.03.15

प्रतिलिपि :-

1. जिलाध्यक्ष, जिला जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री छ.ग. विद्युत मण्डल, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ।

सहपत्र-अभिन्यास की एक प्रति।


सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

6/c